(309)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग सागर
प्र/निगरानी/दमोह/भू.रा./2017/3184

पर्वत सींग तनय श्री प्रेम सींग,

निबासी– ग्राम आबूखेड़ी, तह0 पथरिया, जिला दमोह,म0 प्र0

............आवेदक

वनाम

हरिबाई पिता श्री प्रेम सींग,

निबासी– ग्राम आबूखेड़ी, तह0 पथरिया, जिला दमोह,म0 प्र0

.... अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय पथरिया, जिला दमोह द्वारा प्र0 क0 44/अ–6/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 28/07/2017 से परिवेदित होकर कर रहा है, जो समय सीमा मे है। माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक पर्वत सींग पिता प्रेम सींग द्वारा एक आवेदनपत्र तहसीलदार महोदय पथरिया, जिला दमोह, के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि– हरिबाई पुत्री प्रेम सींग के नाम से खसरा नंबर 132/5 में रकवा 1.65 हैक्टर भूमि दर्ज है। हरिबाई आवेदक की बहन है, जिसने धोके से पटवारी से मिलकर उक्त भूमि पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है, जबकि उक्त भूमि की हिस्सेदार हरिबाई की दो बहने एव भाईयों के नाम दर्ज होना चाहिये था। इसके आधार पर तहसीलदार द्वारा पटवारी से स्थल प्रतिवेदन लिया तथा अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक 02/06/2016 के द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार करके वादभूमि पर अनावेदिका हरिबाई के साथ साथ रघुवीर सींग, पर्वत सींग चिन्टोंबाई, पुत्री प्रेमसींग का नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जिसके आधार पर अभिलेख में दुरूस्ती हो गई। अनावेदिका का कही भी वादभूमि पर कब्जा नहीं है। उपरोक्त आदेश की उसे प्रारंभ से ही जानकारी जिसमें उसकी मूक सहमति थी।

3– यह कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 02/06/16 से परिवेदित होकर प्रतिअपीलार्थिया द्वारा एक अवधि बाधित अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय पथरिया, जिला दमोह, के न्यायालय मे लगभग 01 वर्ष उपरांत प्रस्तुत की गई थी। जिसके साथ जो धारा 05 म्याद अधिनियम का जो आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया था,

राजेन्द्र पटैरिया (एड.)
बार रूम क्र. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि.- 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451002

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक—एक / निगरानी / दमोह / भू.रा. / 2017 / 3184

पर्वत सींग विरूद्ध हरिबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11—03—2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पथरिया, जिला—दमोह के प्रकरण क्रमांक 44 / अ—6 / 2016—17 में पारित आदेश दिनांक 28—07—2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08—05—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 11.3-19	